

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 925]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2014/वैशाख 4, 1936

No. 925]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2014/VAISAKHA 4, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

का.आ. 1126(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1295(अ), तारीख 21 मई, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 5.330 कि.मी. से 192.520 कि.मी., 183.050 कि.मी. से 185.500 कि.मी. (पाली सेक्शन) को छोड़कर, तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 21 जून, 2013 को “दैनिक मरुनाद” और “दैनिक भास्कर” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 5.330 कि.मी. से 192.520 कि.मी. तक, 183.050 कि.मी. से 185.500 कि.मी. (पाली सेक्शन) को छोड़कर, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पाली	सुमेरपुर	ढोला शासन	986	सरकारी	अकृषिक	0.3032	राजस्थान सरकार
				988	सरकारी	अकृषिक	0.0480	राजस्थान सरकार
						योग	0.3512	

[फा.सं. भाराराप्रा/बीओटी-II/11012/01/2007/एलए]

माया प्रकाश , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2014

S.O. 1126 (E).— Whereas, by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1295 (E) dated 21.05.2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.14 in the stretch of land from km 5.330 to km 192.520 excluding km 183.050 to km 185.500 (Pali Section) in District Pali, in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Marunad” and “Danik Bhaskar” both dated the 21th June, 2013, under sub-section 3 of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 5.330 to km 192.520 excluding km. 183.050 to km 185.500 (Pali Section) of the National Highway No. 14 in the State of Rajasthan.

Serial No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner / Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pali	Sumerpur	Dhola Sashan	986	Govt.	Non-Agriculture	0.3032	Rajasthan Government
				988	Govt.	Non-Agriculture	0.0480	Rajasthan Government
				Total			0.3512	

[F. No. NHAI/BOT-II/11012/01/2007/LA]

MAYA PRAKASH, Director